(b) "Mini Bus" and "LGV (Light Goods Vehicle)" means any mechanical vehicle with gross vehicle weight exceeding 7.5 tones but less than 12 tones.

(c) "Truck", "Bus" and "Two axle Truck" means any mechanical vehicle with gross vehicle weight exceeding 12 tones but less than 20 tones.

(d) "Heavy Construction Machinery", "Earth Moving Equipment" and "Multi Axle Vehicle (three to six axles)" means any mechanical vehicle with gross vehicle weight exceeding 20 tones but less than 60 tones.

(e) "Oversized vehicle (seven or above axles)" means any mechanical vehicle having gross weight exceeding 60 tones.

2. Toll Tax shall be collected by the Private developer selected by the State Government or the Person authorized by him. The toll rates shall be specified for each Toll Plaza by the Government of Chhattisgarh.

3. The toll tax rates shall be increased by 10% every year rounded off to the nearest one rupee. The first increase in distance based basic rates shall be made effective from 01-04-2013.

4. The above rates are for one time use only.

5. The State Government exempts the following categories of vehicles from payment of tolls while plying on such roads/crossing such toll bridges/plaza, namely:—

(a) All Vehicles of Government of Chhattisgarh and the vehicles which are on Government duty.
(b) Vehicles of Members of Parliament and Members of Legislative Assembly.
(c) All vehicles of the armed forces, when on duty.
(d) Ambulance
(e) Fire brigade
(f) Vehicles of Indian Post and Telegraph Department.
(g) Tractor/Tractor trolley/Tractor with trolley and bullock carts used for agricultural purposes.
(h) Auto rickshaws, two wheelers, bullock carts.
(i) Vehicles being used by freedom fighters and recognized journalists.
(j) Other vehicles as notified for exemption by the Government.

Note :— The driver of such exempted Vehicles/Van shall be required to state his name, rank and the nature of duty on which he is engaged.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. सहगल, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2012

क्रमांक एफ-17-106/2009/25-2.—भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 का संशोधन करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (संशोधन) नियम, 2011 प्रवृत्त करते हुए उक्त मूल नियम 12(4) (राहत राशि के लिए मापदण्ड) की अनुसूची उपाबंध-1 को संशोधित किया गया है.

2. अतः उपर्युक्त के अनुपालन में राज्य शासन, एतद्द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 15(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम-1995 के नियम 7 राहत एवं सहायता के अंतर्गत अपराध का नाम एवं राहत की न्यूनतम राशि के विवरणों के स्थान पर निम्नानुसार अनुसूची-1 प्रतिस्थापित करता है :—

अनुसूची-I

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम, 1995 का नियम 7 राहत एवं सहायता

क्रमांक (1)	अपराध का नाम (2)	राहत की न्यूनतम राशि (3)
1.	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीना या खाना [अधिनियम धारा 3(1) (i)]	प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए, 60,000/- रुपए या उससे अधिक और पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनादर, अपमान, क्षति तथा मानहानि सहने के अनुपात में भी होगा, दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :— 1. 25% जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए. 2. 75% जब निचले न्यायालयों द्वारा दोषसिद्ध ठहराया जाए.
2.	क्षति पहुंचाना, अपमानित करना या क्षुब्ध करना [अधिनियम धारा 3(1) (ii)]	
3.	अनादर सूचक कार्य [अधिनियम धारा 3(1) (iii)]	
4.	सदोष भूमि अधिभोग में लेना या उस पर कृषि करना, आदि [अधिनियम धारा 3(1) (iv)]	अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए कम से कम 60,000/- रुपए या उससे अधिक भूमि/परिसर/जल की आपूर्ति जहां आवश्यक हो, सरकारी खर्च पर पुनः वापस की जाएगी. जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए पूरा भुगतान किया जाए.
5.	भूमि, परिसर या जल से संबंधित [अधिनियम धारा 3(1) (v)]	
6.	बेगार या बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी [अधिनियम धारा 3(1) (vi)]	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को कम से कम 60,000/- रुपए, प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्टेज पर 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर.
7.	मतदान के अधिकार के संबंध में [अधिनियम धारा 3(1) (vii)]	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 50,000/- रुपए तक जो अपराध के स्वरूप और गंभीरता पर निर्भर है.
8.	मिथ्या द्वेष पूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही [अधिनियम धारा 3(1) (viii)]	60,000/- रुपए या वास्तविक विधिक व्यय और क्षति की प्रतिपूर्ति या अभियुक्त के विचारण की समाप्ति के पश्चात् जो भी कम हो.
9.	मिथ्या या तुच्छ जानकारी [अधिनियम धारा 3(1) (ix)]	
10.	अपमान, अभित्रास और अवमानना [अधिनियम धारा 3(1) (x)]	अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 60,000/- रुपए तक 25 प्रतिशत उस समय जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए और शेष दोषसिद्ध होने पर.
11.	किसी महिला की लज्जा भंग करना [अधिनियम धारा 3(1) (xi)]	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को 1,20,000/- रुपए, चिकित्सा जांच के पश्चात् 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाए और शेष 50 प्रतिशत का विचारण की समाप्ति पर भुगतान किया जाए.
12.	महिला का लैंगिक शोषण [अधिनियम धारा 3(1) (xii)]	

(1)	(2)	(3)
13	पानी गंदा करना [अधिनियम धारा 3(1)(xiii)]	2,50,000/- रुपए तक जब पानी को गंदा कर दिया जाए तो उसे साफ करने सहित या सामान्य सुविधा को पुन: बहाल करने की पूरी लागत उस स्तर पर, जिस पर जिला प्रशासन द्वारा ठीक समझा जाए भुगतान किया जाए
14	मार्ग के रूढ़िजन्य अधिकार से वंचित करना [अधिनियम धारा 3(1) (xiv)]	2,50,000/- रुपए तक या मार्ग के अधिकार को पुन: बहाल करने की पूरी लागत और जो नुकसान हुआ है, यदि कोई हो, उसका पूरा प्रतिकर, 50 प्रतिशत जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर.
15.	किसी को निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना [अधिनियम धारा 3(1) (xv)]	स्थल बहाल करना, ठहराने का अधिकार और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 60,000/- रुपए का प्रतिकर तथा सरकार के खर्च पर मकान का पुनर्निर्माण, यदि नष्ट किया गया हो. पूरी लागत का भुगतान जब निचले न्यायालय में आरोप-पत्र भेजा जाए.
16.	मिथ्या साक्ष्य देना [अधिनियम धारा 3(2) (i) और (ii)]	कम से कम 2,50,000/- रुपए या उठाए गए नुकसान या हानि का पूरा प्रतिकर, 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप-पत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर.
17.	भारतीय दंड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध करना. [अधिनियम धारा 3(2)]	अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को या उसके आश्रित को कम से कम 1,20,000/- रुपए यदि अनुसूची में विशिष्ट, अन्यथा प्रावधान किया हुआ हो तो इस राशि में अन्तर होगा.
18.	किसी लोक सेवक के हाथों उत्पीड़न [अधिनियम धारा 3(2) (vii)]	उठाई गई हानि या नुकसान का पूरा प्रतिकर. 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप-पत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत का भुगतान जब निचले न्यायालय में दोषसिद्ध हो जाए, किया जाएगा.
19.	नि:शक्तता:— नि:शक्तता की परिभाषा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा में यथा प्रदत्त होगी और उसके निर्धारण के लिए दिशानिर्देश सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तारीख 01-06-2001 की भारत सरकार अधिसूचना संख्या 154, समय-समय पर यथा संशोधित में अंतर्निष्ठ होगी अधिसूचना की एक प्रति अनुसूची-II पर संलग्न है.	
	(क) 100 प्रतिशत असमर्थता	
	(i) परिवार का न कमाने वाला सदस्य	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 2,50,000/- रुपए, 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट पर और 25 प्रतिशत आरोप-पत्र और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर.
	(ii) परिवार का कमाने वाला सदस्य	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 5,00,000/- रुपए, 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट/चिकित्सा जांच पर भुगतान किया जाए और 25 प्रतिशत जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए तथा 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर.

(1)	(2)	(3)
	(ख) जहां असमर्थता 100 प्रतिशत से कम है	उपर्युक्त क (i) और (ii) में निर्धारित दरों को उसी अनुपात में कम किया जाएगा, भुगतान के चरण भी वही रहेंगे. तथापि, न कमाने वाले सदस्य को 40,000/- रुपए से कम नहीं और परिवार के कमाने वाले सदस्य को 80,000/- रुपए से कम नहीं होगा.
20	हत्या/मृत्यु	
	(क) परिवार का न कमाने वाला सदस्य	प्रत्येक मामले में कम से कम 2,50,000/- रुपए, 75 प्रतिशत पोस्टमार्टम के पश्चात् और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर.
	ख) परिवार का कमाने वाला सदस्य	प्रत्येक मामले में कम से कम 5,00,000/- रुपए, 75 प्रतिशत का भुगतान पोस्टमार्टम के पश्चात् और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर.
21.	हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, गैंग द्वारा किया गया बलात्संग, स्थायी असमर्थता और डकैती का पीड़ित.	उपर्युक्त मदों के अंतर्गत भुगतान की गई राहत की रकम के अतिरिक्त, राहत की व्यवस्था अत्याचार की तारीख से तीन माह के भीतर निम्नलिखित रूप से की जाए :— (i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को 3,000/- रुपए प्रति मास की दर से, या मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार या कृषि भूमि, एक मकान यदि आवश्यक हो तो तत्काल खरीद द्वारा. (ii) पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा और उनके भरण-पोषण का पूरा खर्चा/बच्चों को आश्रम स्कूलों/आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जाए. (iii) तीन माह की अवधि तक बर्तनों, चावल, गेहूं, दालों, दलहनों आदि की व्यवस्था.
22	पूर्णतया नष्ट करना/जला हुआ मकान	जहां मकान को जला दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो, वहां सरकारी खर्च पर ईंट पत्थर के मकान का निर्माण किया जाए या उसकी व्यवस्था की जाए.

3. उपर्युक्त संशोधित दर इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से लागू मानी जावेगी.

4. इस स्वीकृति पर छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के यू.ओ.नं. 332/1002250/वित्त विभाग/ब-3/2012 दिनांक 07-08-2012 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.